ई–मेल

प्रेषक,

निदेशक,
सेवायोजन,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

सेवा में,

1. उपनिदेशक, सेवायोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सहायक निदेशक, सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी।
3. समस्त क्षेत्रीय/जिला/नगर सेवायोजन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रभारी अधिकारी, शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, उत्तराखण्ड।
5. समस्त उपप्रमुख, यू0ई0बी0 उत्तराखण्ड।
6. विशिष्ट सेवायोजन अधिकारी(जनजाति), कालसी(देहरादून)।

पंत्राक–1308-13/डीटीईयू/ई–1/स्थाना0अधि0–2017/2022–23 दिनॉक:24अप्रैल 2023

विषय– **अनुरोध/आपत्ति/विकल्प सम्बन्धी ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए अनिवार्य वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के धाराओं के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण 2022–23 हेतु प्रत्येक कार्यालयों में तैनात अधिकारियों व कार्मिकों का स्थानान्तरण हेतु अनुरोध आवेदन प्राप्त किया जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि स्वंय सूचित होते हुए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/प्राविधिक सहायक/अन्वेषक कम संगणक/लाईब्रेरियन/अनुदेशक/प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को लिखित रूप से सूचित करें, कि यदि स्थानान्तरण हेतु कोई अधिकारी/कार्मिक इच्छुक हों, तो अपने आवेदन पत्र ठोस कारणों के साथ दिनांक 30 अप्रैल, 2023 से पहले प्रत्येक दशा में निदेशालय को उपलब्ध करा दें। साथ ही वेबसाईट में अपलोड किये गये सुगम/दुर्गम एवं पात्रता व रिक्ति के सम्बन्ध में किसी अधिकारी/कर्मचारी को आपत्ति हो तो वे भी अपनी आपत्ति को उक्त तिथि तक प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। पूर्व में जारी विकल्प पत्र के क्रम में भी कतिपय कार्यालयों से अभी तक विकल्प पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं वे भी अपने विकल्प उक्त तिथि तक प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। ताकि ससमय सम्बन्धित पत्रों–प्रपत्रों का संकलन निदेशालय स्तर पर हो सके। अनुरोध/आपत्ति/विकल्प सम्बन्धी आवेदन पत्र निदेशालय में ससमय प्राप्त न होने पर स्थानान्तरण में विचार नहीं किया जायेगा।

अतः समस्त अधिकारियों/कार्मिकों को नाम सहित सूचित करते हुऐ दिनांक 30.04.2023 तक इस कार्यालय को ई–मेल के माध्यम से तामिली सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करायें।

भवदीय,

(हरबीर सिंह)
निदेशक, सेवायोजन